नागरिक सूचना सेवायें
कानपुर देहात

Krutidev Document

# ई–तहसील, नागरिक सूचना सेवाओ, कानपुर देहात

जनपद कानपुर देहात में नागरिक सूचना सेवाओं के अर्न्तगत लोकवाणी समिति के माध्यम से समस्त तहसीलों पर जाति/आय/निवास आदि प्रमाण पत्रों का कम्प्यूटरीकरण (ई–तहसील, नागरिक सूचना सेवाओ, कानपुर देहात) प्रगति पर है, यह कार्य 15 जुलाई 2008 से जनपद कानपुर देहात में चल रहा है। तहसीलों को एक कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर एंव यू0पी0एस0 उपलब्ध कराया गया है। इस पूर्ण योजना बिन्दुवार विवरण निम्नलिखित हैः–

1. सभी हार्डवेयर इत्यादि क्रय कराकर तहसीलों पर स्थापित कर दिया गया है।
2. जाति/आय/निवास आदि प्रमाण पत्र जारी करने के साफ्टवेयर (ई–तहसील, नागरिक सूचना सेवाओ, कानपुर देहात) का कार्य पूर्ण है।
3. सभी तहसीलों आय/जाति/निवास के कम्प्यूटराइजे ान हेतु सम्बन्धित लिपिकों को दिनांक 13.02.2008 एंव 14.02.2008 को प्रि ाक्षण दिया जा चुका है।
4. सभी उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को प्रि ाक्षण दिया गया है।
5. इस कार्य को पूर्ण करने के उपरान्त निम्नलिखित फायदे तहसील स्तर पर होंगे जो कि भाासन की पारदि ाता, स्वच्छ प्र ाासन एंव समयबद्धता नीति के अनुकूल है।
   - ✓ साफ–सुथरा प्रमाण पत्र जारी होगा।
   - ✓ प्रमाण पत्र क्रमांक के लिये आटो जनरे ान पद्धति (जो कि डाटा डालने वाले को भी नही पता होगा) को अपनाया जायेगा।
   - ✓ जाली प्रमाण पत्र जारी नही हो सकेंगे।
   - ✓ यह प्रमाण पत्र रेलवे टिकट के समान मोटे कागज पर जारी होंगे, जिसका अपना भी एक क्रमांक होगा एंव पूरे जनपद में एक समान फार्मेट होगा।
   - ✓ कम्प्यूटर के माध्यम से जारी किया गया प्रमाण पत्र इण्टरनेट द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा।
   - ✓ जारी करने में समय बहुत कम लगेगा।
   - ✓ प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति तुरन्त जारी हो सकेगी।
   - ✓ तहसील स्तर पर जारी होने वाले प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता बढ़ेगी।
   - ✓ भविश्य में नागरिक सूचना सेवाओं हेतु एक कम्प्यूटर आपरेटर रखा जायेगा जिससे कि तहसील पर कम्प्यूटर कार्यो का दबाव कम होगा।
   - ✓ धनरा ा पर्याप्त होने पर तहसीलों को सभी तरह की सुविधाएं दी जायेगी जैसे कि (स्पलिट ए0सी0 एवं एक जनरेटर(बिना आवाज का), सुसज्जित कमरा, ठण्डे पानी की व्यवस्था इत्यादि, इत्यादि...।)
   - ✓ जनता को सुविधाएं ससमय मिलेगीं जिससे कि ि ाकायतें कम होगीं।
6. इस कार्य को करवाने के लिये लोकवाणी के तहत सभी सेवाएं ली जाएगीं एवं लोकवाणी के तहत भाासनादे ा में यह प्रावधान है कि जाति/आय/निवास आदि

प्रमाण पत्रों (संलग्नक—क) के भाुल्क लोकवाणी के मद में लिया जा सकता है। अतः इस कार्य के लिये प्राविधानित लोकवाणी के तहत (संलग्नक—क) 10.00 रूपया प्रति प्रमाण पत्र लिया जायेगा।

7. तहसील स्तर पर सम्बन्धित लिपिक ज्यादा से ज्यादा इस संकलित धनराि ा को सात दिनों तक अपने पास रख सकता है उसके उपरान्त रखने पर नियमों के विरूद्ध होगा। सम्बन्धित लिपिक इस संकलित धनराि ा को (स्वंय माध्यम/बैंक ड्राफ्ट माध्यम/चेक माध्यम से) जनपद लिपिक को प्राप्त करायेगें।

8. इस प्रावधान के तहत समस्त धनराि ा जो कि तहसील स्तर पर संकलित होगी वह दिनांकवार जनपद लिपिक को उपलब्ध कराई जाएगी तदोपरान्त् जनपद स्तर पर सम्बन्धित लिपिक यह धनराि ा लोकवाणी के खाते में जमा करायेगा। लोकवाणी के तहत समस्त वित्तीय कार्यों के प्रभारी कोशाधिकारी हैं एवं वह सभी वित्तीय कार्यों को अपनी देखरेख मे जनपद स्तर पर लिपिक द्वारा पूर्ण करायेगें।

9. संकलित धनराि ा खर्च करने के लिये भी लोकवाणी (संलग्नक—ख) के भाासनादे ाों का अनुपालन किया जायेगा।

10. यह पूर्ण कार्य अध्यक्ष, राजस्व परिशद् महोदय, उ0प्र0 के भाासनादे ा संख्या—5620/12—177आर0 दिनांकित 14.08.2007 के पूरक का कार्य करेगा।

11. लोकवाणी सोसाइटी के खाते में जमा धनराि ा, नियमानुसार सचिव (अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं कोशाधिकारी के सयुक्त हस्ताक्षरों से अध्यक्ष महोदय की संस्तुति मिलने के उपरान्त ही प्रयोग किया जा सकेगा, एंव इसका पूरा रखरखाव जनपद स्तर पर श्री तेजस्वी कुमार सम्बद्ध एन0आई0सी0 करेगें।

12. भविश्य में अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु लोकवाणी समिति की कार्यकारिणी समिति अधिकृत होगी तथा इसी समिति के निर्दे ाानुसार कार्य सम्पादित किये जायेगें।

13. जनपद स्तर पर लोकवाणी कानपुर देहात का गठन दिनांक 24—03—2006 का है एंव इसकी प्रगति अंत्यन्त धीमी है एंव भाासन द्वारा समय—समय पर निर्दे ा दिया जाता रहा है कि जनता को इसके तहत सुविधाएं दी जाय। अतः तहसीलों पर प्रमाणपत्रों के जारी होने से लोकवाणी समिति, कानपुर देहात में प्रगति आयेगी।

लोकवाणी के तहत शुरूआत करने पर लोकवाणी कानपुर देहात के कार्यो में तेजी आयेगी एंव आम जनता को सुविधा होगी।

- * -